भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3036

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

पंजाब में कोयला गैसीकरण का कार्यान्वयन

3036. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में विशेष रूप से आनंदपुर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लघु औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) होशियारपुर और रूपनगर जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्लस्टरों के लिए श्रेणी-III (लघु-स्तरीय/प्रदर्शन परियोजनाएं) के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ग) सितम्बर, 2025 में प्रकाशित प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) के दूसरे दौर के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए विशिष्ट मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वीजीएफ मानदंड हेतु विशिष्ट मानदंड पंजाब में भू-परिरुद्ध औद्योगिक समूहों की उच्च प्रचालनात्मक लागत के लिए उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को मोहाली और नवांशहर क्षेत्रों में ईंट भट्ठा समूहों के लिए कोयला गैसीकरण की तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने में एमएसएमई की सहायता करने के लिए उत्तर भारत में प्रायोगिक परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को देश भर में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता देने और

बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम राज्य-विशिष्ट नहीं है। वर्तमान में, पंजाब अथवा आनंदपुर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) : होशियारपुर और रूपनगर जिलों में कोयला गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों के दूसरे दौर के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) श्रेणी-II और श्रेणी-III के तहत दिनांक 30.09.2025 को जारी किए गए थे।

श्रेणी-II के तहत, निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक परियोजना के संबंध में 1000 करोड़ रुपये अथवा पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इस श्रेणी के तहत, एकल डाउनस्ट्रीम उत्पाद अथवा कोयला गैसीकरण के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के संयोजन के 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष के न्यूनतम उत्पादन का एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

श्रेणी-III के अंतर्गत प्रदर्शन परियोजनाएं (स्वदेशी प्रौद्योगिकी) अथवा लघु उत्पाद आधारित गैसीकरण संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत चयनित कंपनी को 100 करोड़ रुपए अथवा पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान की अनुमति दी जाती है। प्रस्ताव में न्यूनतम पूंजीगत व्यय ₹100 करोड़ और न्यूनतम 1,500 एनएम3/घंटा सिनगैस का उत्पादन होना चाहिए। प्रदर्शन परियोजना के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए, अपनाई गई प्रौद्योगिकी को प्रायोगिक पैमाने पर साबित किया जाना चाहिए और कोयला गैसीकरण इकाई पर पूंजीगत व्यय कम से कम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। श्रेणी-III के तहत छोटे पैमाने की परियोजनाओं के लिए, समान प्रौद्योगिकी वाला संयंत्र विश्व में कहीं भी वाणिज्यिक प्रचालन में होना चाहिए। संयंत्र को गैसीकरण-आधारित उत्पादों के उद्देश्य से सिनगैस का उत्पादन करना चाहिए।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के मानदंड पंजाब सहित पूरे देश में समान हैं।

(ङ) : आज की स्थिति के अनुसार, ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) : इस स्कीम के तहत, अब तक केवल एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसे वित्त वर्ष 2029-30 में चालू किया जाना निर्धारित है। इसके अलावा, दिनांक 30.09.2025 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में श्रेणी- III के तहत एक अन्य प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

*****